

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS
राजस्व मूल वाद संख्या:- 35/2009

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.श्रीमती शान्ति पत्नी श्री बाबुलाल जाति विश्णोई निवासी विष्णु नगर धाधिया तहसील लूणी जोधपुर		01.गोमाराम पुत्र पुसाराम जाति रावणा राजपुत 02.वाद मे अकित प्रतिवादी संख्या 02 से 13 तक 03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थिति -

- 01.वादीनी की ओर से अधिवक्ता लाधूराम पूनिया उपस्थित
- 02.प्रतिवादीगण संख्या 7/1 से 7/6 की ओर से भागीस्थ विश्णोई उपस्थित।
- 03.शेष प्रतिवादीगण सूचना के बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक:- 07/01/2025

वादीनी का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिकी दिनांक 12.04.2021 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को बटवाडा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 17.07.2023 को पेश किया।

वादीनी व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम धाधिया पटवार हल्का धाधिया के खसरा नम्बर 194 रकबा 57 बीघा 04 बिस्वा भूमि मे नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 17.07.2023 मय मौका फर्द दिनांक 12.04.2023 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीनी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है-

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	लगान	किस्म
A	01.गोमसिंह पुत्र पुससिंह जाति रावणा राजपुत सा देह खातेदार	194	1.5432	-	बारानी तृतीय
B	01.जगदीशसिंह पुखसिंह पन्नेसिंह वगैरा पुत्र लच्छीराम जाति रावणा राजपुत खातेदार	194	1.5432	-	बारानी तृतीय
C	01.हडमानसिंह पुत्र बलदेवसिंह छोटी पत्नी बलदेव सिंह वगैरा खातेदार	194	1.5432	-	बारानी तृतीय
D	01.मांगूसिंह पुत्र हरिसिंह जाति रावणा राजपुत सा देह खातेदार	194	1.5432	-	बारानी तृतीय
E	01.मोतीसिंह रामसिंह पुत्र नैनसिंह वगैरा जाति रावणा राजपुत सा देह खातेदार	194	1.5432	-	बारानी तृतीय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

F	01.श्रीमती शान्ति पत्नि बाबूलाल विश्णोई जाति विश्णोई सा विष्णुनगर खातदार	194	1.5432	-	बारानी तृतीय
---	--	-----	--------	---	--------------

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकारण सहखातेदार होने के कारण वादीनी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 12.04.2023 के अनुसार विभाजन कर वादीनी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 12.04.2023 डिक्री का अभिन्न अग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।



(पुखराज कांसोटिया) RAS
 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
 लूणी जिल्हेट लूणी



डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 35/2009

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.श्रीमती शान्ति पत्नी श्री बाबुलाल जाति विश्नोई निवासी विष्णु नगर धाधिया तहसील लूणी जोधपुर		01.गोमाराम पुत्र पुसाराम जाति रावणा राजपुत 02.वाद मे अकित प्रतिवादी संख्या 02 से 13 तक 03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 35/2009 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 12.04.2023 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 02/01/2025 को जारी की गई।



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	-		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान	-	-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी